कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

पत्र सं0 /8-2(7) देहरादून, अक्टूबर 11 2010

स्थाई आदेश

हिमालयन नेटल, (*Girardinia Heterophylla*) जिसको बिच्छू घास, हिमालयन कण्डाली तथा डांस कण्डाली के नाम से भी जाना जाता है इसके रेशे का उपयोग ग्रामीण समुदाय रस्सी बनाने के उपयोग में करती है पुराने समय में इसके रेशे से पैरों के छबैल, दस्तान, बैलों का मुआल आदि बनाने के उपयोग में किया जाता था। उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा हिमालयन नेटल (*Girardinia Heterophylla*) पर किये गये अध्ययन तथा अनुसंधान विकास के परिणाम स्वरूप यह पाया कि इस पौधे से प्राप्त रेशे से विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुऐं जैसे– रस्सी से लेकर कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जा सकता है जो स्थानीय समुदाय के आजीविका सम्बर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में इस व्यवसाय से अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग जुड़ा हुआ हैं यदि इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही इन वर्गो के लिए आजीविका के नये आयाम खुलेगें।

भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक रेशे को स्थानीय रोजगार से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय नीति बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत पांच प्राकृतिक रेशों को प्राथमिकता के तौर पर लिया है जिसमें हिमालयन नेटल ***Girardinia heterophylla*** भी सम्मिलित है जिसके लिए उत्तराखण्ड राज्य को नोडल के रूप में चयनित किया गया है।

क्योंकि हिमालयन नेटल ***(Girardinia heterophylla)*** की अधिकतम पैदावार वन क्षेत्रों में ही होती है जिसकी कटाई एवं संग्रहण की अनुमति स्थानीय ग्रामीण समुदाय को न मिलने के कारण इस पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है जिससे कि यह वहुवर्षीय पौधे (Perennial Plant) से निकलने वाला सेकड़ों टन रेशा हर वर्ष बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाता हैं।

हिमालयन नेटल ***(Girardinia heterophylla)*** से प्राप्त रेशे के उपयोग से आजीविका एवं रोजगार की सम्भावनाओं को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों को आरक्षित वन क्षेत्र से इसकी कटाई एवं संग्रहण की अनुमति देना आवश्यक है साथ ही इसके दोहन के साथ–साथ इसकी पैदावार तथा उत्पादन की निरन्तरता को बढ़ाने हेतु वे सभी वन प्रभाग अपनी वार्षिक कार्ययोजना में प्रत्येक वर्ष समाहित अवश्य करें जहां पर इस रेशे का उपयोग आजीविका हेतु किया जाता है साथ ही सम्बन्धित वन पंचायतों में इसका रोपण करने तथा स्थानीय ग्रामीणों को सामुदायिक भूमि एवं निजि भूमि पर इसकी खेती (cultivation) करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

(डॉ. रघुवीर सिंह रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

पत्र सं0 क- 897/8-2(7) उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, परियोजनाऐं, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमायूँ, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड
4. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद
5. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
6. गार्ड फाईल।

1/11/2010

(डॉ. रघुवीर सिंह रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।